न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकरी (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय साबिर खांन बनाम हकमुददीन वगै0 किस्म मुकदमा: 212 आर0टी0एक्ट मिसल नंबर: 189/2022	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
29.08.2022	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का संस्थित किया कि आराजी खसरा नंबर 372/0.50, 368/0.46, 373/1.57 बाके ग्राम धानौता तहसील सीकरी प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 03 के पति के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। आराजी खसरा नंबर 372/0.50 बाके ग्राम धानौता के वर्तमान राजसव रिकार्ड में पहलू पुत्र असरू 1/2 हिस्सा का तथा शेष हिस्सा पर हकमुददीन पुत्र असरू का नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज अभिलेख है तथा खसरा नंबरान 368/0.46, 373/1.57 बाके ग्राम धानौता के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पहलू पुत्र असरू, हकमुददीन पुत्र असरू, कुर्शीद पुत्र असरू प्रत्येक 1/3 हिस्से पर वहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज अभिलेख है जिसकी ताईद भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी से होती है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज पहलू का देहांत हो चुका है जिसके वारिस सायल एवं गैरसायल संख्या 03 है। गैर सायला संख्या 03 अपने भाईयों के बहकाने में आकर मृतक पहलू के स्थान पर केवल मात्र अपना नाम दर्ज कराने की फिराक में है जिसके लिए गैरसायला संख्या 03 ने राजस्व कर्मचारियों एवं सरपंच से मिलकर प्रार्थी को उनकी हक की आराजी से वंचित करना चाहते हैं एवं मृतक पहलू पुत्र असरू की समस्त आराजी पर राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर स्वयं के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड कराना चाहती है। गैर सायला संख्या 03 ने गैर सायल संख्या 01 व 02 को अपने बहकावे में लेकर आराजी मुत0 में काश्त को लेकर भी अलग–अलग तरह के विवाद पैदा किये हुए हैं और सायल को अपने हिस्से से बेदखल करना चाहते हैं एवं आराजी मुत0 को दीगर व्यक्तियों को एक निश्चित दिशा इंगित करते हुए मौके पर बेचान कर विवाद को पनपाने की स्थिति में है। यदि अप्रार्थीगण अपनी मंशा में सफल हुए तो प्रार्थी को सख्त हकतलफी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति जरिये नगद एवं किसी अन्य तरह से नहीं हो सकेगी। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2021 को जारी अंतरिम	

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक संयुक्त किया जावे। जिससे पक्षकारान अनावश्यक मुकदमात में न उलझें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया संख्या 03 ने दिनांक 08.02.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में गत तारीख पेशी को वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मेरे प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ही प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने पक्ष में कथन किया कि मेरा जवाब प्रार्थना पत्र एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 03 को सिर्फ परेशान करने के उददेश्य के साथ प्रस्तुत किया है। सालय द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि सायल मृतक पहलू का पुत्र है जबकि सही बात यह है कि गैर सायल संख्या 03 मृतक पहलू की बेवा के कोई संतान पैदा नहीं हुई अर्थात दोनो पति–पत्नि के कोई बच्चा नहीं है। पहलू पुत्र असरू की दिनांक 31.07.2019 को मृत्यू हो चुकी है। अप्रार्थीया संख्या 03 ही उसकी एक मात्र विधिक वारिस हैं। इस बावत अप्रार्थीया ने राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय धानौता पंचायत समिति नगर के कार्यालय से जारी प्रमाणीकरण दिनांक 13.12.2021 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम कुर्शीद दर्ज है। अप्रार्थीया ने ग्राम पंचायत बासबुर्जा का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत बासबुर्जा ने प्रमाणित किया है कि मृतक पहलू पुत्र असरू के विधिक वारिस केवल अप्रार्थीया संख्या 03 ही है। प्रार्थी फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराकर षडयंत्रपूर्वक मृतक पहलू की आराजी को बेईमानीपूर्वक हडपने की मंशा में है। यदि प्रार्थी अपने इस इरादे में सफल हुआ तो अप्रार्थीया संख्या 03 को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद या किसी अन्य तरह से न हो सकेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 आर0टी0एक्ट को खारिज फरमाया जावे

उपखण्ड अधिकारी
बीकरी (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner

एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के कथनों के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात तथा अप्रार्थीया संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर आराजी खसरा नंबर 372/0.50, 368/0.46, 373/1.57 बाके ग्राम धानौता तहसील सीकरी की बाबत प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का होना प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण खारिज फरमाया जाता है तथा दिनांक 16.03.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीकरी (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner